१३. यह सुनिश्चित किया जाए कि निधि की देय राशी निर्धारित समय में भरनी है। विलंबित अदायगी कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा १४-बी के अनुसार सौ प्रतिशत क्षतिमूल्य के लिए उत्तरदायी होगी ।

13. It is important to ensure that the amount due to the Fund is paid within the prescribed time limit. Delayed payments are liable to damages upto hundred per cent of the arrears as provided in Section 14-B of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act. 1952.

१४. इसके अतिक्ति देयता की अदायगी तथा विवरणियों की अ-प्रस्तुति के लिए अभियोग भी लगाया जाएगा ।

14. Besides, Prosecution could also lie from non-payment of dues and for non-submission of returns.

१५. इस कार्यालय के निरीक्षक आपकी स्थापना को भेट देंगे । इसलिए आपसे निवेदन है की उन्हे आवश्यक सहयोग दे । तथापि, अगर आपको कोई कठिनाई महसूस हो या आप किसी प्रकार के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते है तो इस कार्यालय को या निम्नलिखित पते पर भविष्य निधि निरीक्षक को लिख सकते है।

15. An inspector of this office will be visiting your establishment. You are requested to please afford him necessary co-operation. However, if you experience any difficulty or desire any guidance, you my please write to this office or the Provident Fund Inspector whose address is given below.

16. Previous Provident Fund accumulations. If any should be transferred in the form of cash within 10 days OR in the form of securities within 30 days.

श्री / श्रीमती ______________________

भविष्य निधि निरीक्षक

____

____

भवदिय,

सहा. भविष्य निधि आयुक्त
महाराष्ट्र, उपक्षेत्रीय कार्यालय औरंगाबाद.

Provident Fund Inspector

____

____

Please acknowledge receipt of this communication.

Your's Faithuflly

(S. V. Tonk)

Asst. Provident Fund Commissioner,
Maharashtra, S.R.O. Aurangabad.

OFFICER-IN-CHARGE ★ S.R.O. AURANGABAD

संलग्नक :

Encl. :

१. संकेत संख्या के आबंटन सम्बन्धि सूचना.
1. Instruction regarding allotment of A/c number and filling up of scheme.
2. Instructions regarding transfer of previous Provident Fund accumulations and transfer of securities.
3. Ready Reckoner for calculating P.F. Contributions / F. P. contribution / Deposit Linked Insurance Contribution.

लेखा संख्या के आबंटन सम्बन्धि सूचना
INSTRUCTION REGARDING ALLOTMENT OF ACCOUNT NUMBER

फॅक्ट्री स्थापना की संकेत संख्या के अन्तर्गत योगकर्ता कर्मचारी की लेखा संख्या क्रमिक रुप से होगी । प्रत्येक फॅक्ट्री / स्थापना आपना खुद की क्रमसंख्या बनाएगी एवं निधि के जितने योगकर्ता है उतनी ही क्रमसंख्या होगी । फॅक्ट्री / स्थापना की संकेत संख्या क्रमसंख्या के पहले जोडनेपर सम्बन्धित कर्मचारी / योगकर्ता की भविष्य निधि की पूर्ण लेखा संख्या तैयार होगी । उदाहरण के तौरपर, अगर आपकी फॅक्ट्री / स्थापना 52 योगकर्ता है तो उनकी पूर्ण भविष्य निधि लेखा संख्या एमएच 306/1, एमएच 306/2, एमएच 306/3, और इसी तरह लगातार एमएच 306/52 तक होगी । जिससे एमएच 306 यह फॅक्ट्री/स्थापना की अ-परिवर्तनीय संकेत संख्या सुचित है और संख्यात्मक क्रमांक योगकर्ता के लिए नियत की गयी लेखा संख्या सूचित करते है। संकेत संख्या की तरह योगकर्ता को एक बार नियत की गयी लेखा संख्या भी अपरिवर्तनीय होगी । योगकर्ताने सेवा त्याग देने पर उसका लेखा बंद हो गया हो बन्द लेखा की लेखा संख्या रिक्त रखी जाए । उसे किसी नये सदस्य के लिए फिर से नियत न की जाए । योगकर्ता का फॅक्ट्री / स्थापना से स्थानांतरण होने पर, जिस फॅक्ट्री / स्थापना में वह कार्य करता था उसमें उसकी लेखा संख्या अप्रवृत्त रहेगी । लेकिन किसी अन्य को नियत नही की जाएगी । उप क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और फॅक्ट्री / स्थापना के बीच होनेवाले पत्राचार में योगकर्ता की लेखा संख्या उद्धृत की जायगी ।

The employee's / subscriber's account number will be a running number under the code number of the factory/establishment. Each factory / establishment having a serial of its own and as many numbers in the serial as there are subscribers to the Fund. The running numbers prefixed with the code number of the factory / establishment will be the full Provident Fund Account Number of the employee / subscriber concerned for example, if there are 52 subscribers in a factory / establishment their full Provident Fund Account Numbers will be MH/306/1, MH/306/2, MH/306/3, and so on till MH/306/52, where MH/306 denoted the unalterable factory / establishment's code number and the running numerical numbers denote the Account Numbers allotted to each subscriber, like the code number, the account number, once allotted to the subscriber will not be changed when he quits service and his account is closed, the number of the closed account will be left blank and WILL NOT BE RE-ALLOTTED TO ANY NEW MEMBERS. On transfer of a subscriber from one factory / establishment he joins and his account number in the factory / establishment in which he was last employed will become inoperatve and will not be re-allotted to any one. The Account Number of each subscriber must be quoted in all correspondence between the sub Regional Provident Fund Commissioner and the factory / estabslishment and vice versa.

RBAD

सहाय्यक भविष्य निधी आयुक्त का कार्यालय

टाऊन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद - ४३१००३

OFFICE OF THE ASSISTANT PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Town Centre, Cidco, Aurangabad - 431003

सं./महा./भ.नि./ प्रयोज्यता / — दिनांक -

No.MH / AB / 81927/APP/ein. 61/06/218 — Date - 23/1/2006

सेवा में,

To, Sai Manpower Services Pvt. Ltd,
211/A, N-11, CIDCO,
Aurangabad.

विषय : कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपबन्ध अधिनियम, १९५२ और उसके अधिन बनाई गई योजना इसकी प्रयोज्यता संकेत संख्या का आबंटन ।

Sub : Employees' Provident Funds and Miscelleneous Provisions Act. 1952 and the scheme frame there-under-applicability thereof-Allotment of code number.

07 FEB 2006

598

महोदय,

Sir,s

१. आपकी फॅक्ट्री / स्थापना उसकी सभी शाखाएं और विभागों के साथ दि.................से कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान खण्ड में समाविष्ट की गई है । उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होता हैं कि :

1. Your factory/ establishment with all its branches and departments is brought within the purview of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 and the scheme framed there under with effect from ...19/1/2006.................... The information made available reveals that -

(१) आपकी फॅक्ट्री अनुसूची १ में उल्लिखित उद्योग .... का कार्य करती है जिसपर अधिनियम की धारा १ (३) के अधिन कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ लागू होता है !

(i) Your factory is engaged in ...Manpower Service.........one of the industries specified in Schedule 1 to which the Employees' Provident Funds and Miscelleneous Provisions Act. 1952 is applicable under Section 1 (3) (a) of the Act.

२. आपकी स्थापना.. के लिए वर्गीकृत की गई है जिसपर अधिनियम की धारा १ (३) (बी) के अधिन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ लागू, किया है।

(ii) Yours is an establishment classified as. Expert Service......to which the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 has been made applicable by the Government of India by a Notification issued under Section 1(3) (b) of the Act.

३. आपकी फॅक्ट्री / स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची १ में उल्लिखीत उद्योग में तथा अधिनियम की धारा १ (३) (बी) ने अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भुत नही हैं ! अतः आपकी स्थापना को अ-सूचिबध्द माना गया है ।

१-क) जांच पडताल / उपलब्ध सूचना के आधारपर व्याप्ति तत्कालिक स्वरुप की है, लेकीन इस शर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रलेख सत्यापित हो जाए !

1-A) The Coverage is provisional on the basis of enquiries made/information available and is subject to further verification of your records for prior periods.

(१-ख) अधिनियम की धारा (१) (४) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ के स्वैच्छिक रुप से विस्तार के सम्बन्ध में प्राप्त आपके आवेदन सं...................... दि......................के सन्दर्भ मे कर्मचारी भविष्य निधी प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा १ की उपधारा (४) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुझे भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने तक आपकी स्थापना की तत्कालिक रुप से दि...................... से, व्याप्ती करके उसके लिए, एमएच/..................... यह संकेत संख्या नियत की गई है ।

(1-B) With reference to your application No................dated.....................received for extension of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 Under Section 1(4) of the Act on a voluntary basis, a code number is hereby allotted to your establishment namely MH/AB..........................provisionally covering your establishment with effect from...........................pending issue of a notificaiton by the Government of India in exercise of the powers conferred on them by sub-section (4) of seciton 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952

(१-क) आपकी कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ और उसके अधिन बनाई गई योजना के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए एमएच/.................................यह संकेत संख्या नियत की है। यह संकेत संख्या इस कार्यालय के साथ किये जानेवाले सभी पत्राचार पर नित्य रुप से उद्धृत की जाए।

(1-C) The code No.MH/AB/...81927..................is alloted to you for the purpose of making compliance with the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Scheme framed thereunder. This code number should invariably be quoted in all the correspondence with this offce.

२. आपको ....से कर्मचारी भविष्य निधी योजना...से परिवार पेन्शन योजना तथा ....से निक्षेप सहबध्द बीमा योजना के उपबन्धों को कार्यान्वित करना है, अगर अभीतक न किये हो, तो।

2. You are required to implement the provisions of the Employees Provident Fund Scheme w.e.f....19/11/2006.. Family Pension Scheme w.e.f. ...19/11/2006....and Deposit Linked Insurance Scheme w.e.f....19/11/06..............if not already done.

३. फॅक्ट्री/स्थापना में या उसके काम के सम्बध में कार्य करनेवाला कर्मचारी भविष्य निधी योजना, १९५२ की धारा २६ के अनुसार निधी की सदस्यता के लिए पात्र होगा।

3. As provided in para. 26 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 an employee working in or in connection with the work of the factory/establishment shall be eligible for membership of the fund.

४. (१) हर महिने प्रत्येक कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज सुविधा की नगद कीमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारणभत्ते के ~~६.१/४ %/८ %/ ८.१/३ %/ १० %~~ १२ % की दर से अंशदान नियोक्ता द्वारा देय होगा ! कर्मचारी द्वारा देय अंशदान नियोक्ता द्वारा देय अंशदान के समान होगा।

4. (i) The contributions payable by the employer shall be at the rate of ~~6.1/4% / 8%/ 8.1/3% / 10%~~/ 12% of basic wages, dearness allowances (Including cash value of food concession) and retaining allowances, if any payable to each empoyee every month. The contribution payable by the employee shall be equal to the contribution payable by the employer.

२) अंशदान पूर्ण महिने में प्राप्त किये मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदी के आधारपर परिकलीत किया जाए, चाहे वह दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर अदा किया है।

(ii)The contributions shall be calculated on the basic wages, dearness allowances etc. actually drawn during the whole month wheather paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis.

३) प्रत्येक अंशदान रुपये के नजदिक के चतुर्थांश मे परिकलीत किया जाएगा। जैसे कि १२५ या उसके अधिके पैसे रुपये के अगले उच्च चतुर्थांश के अनुसार गिने जाए।

(iii)Each contribution shall be calculated on the nearest quarter of a rupee i.e. 125 paise more to be counted as the next higher quarter of a rupee.

४) अंशदान की परिगणना हेतू वेतन नजदिक के रुपये में पूर्णांकित किया जाए जैसे कि ५० या उससे अधिक पैसे रुपया के अनुसार गिने जाए और ५० से कम पैसे छोड दिये जाए !

iv) For the purpose of calculation of contributions the wages may be rounded off to the nearest rupee i.e. 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored.

टिप्पणी : किसी भी दिन आपने ५० या ५० से अधिक व्यक्तियों को कामपर रखा तो आप ~~१०~~ 12 % अंशदान देने के लिए उत्तरदायी होंगे !

Note : On your employing 50 or more than 50 persons on any day, you will be liable to pay contributions ~~10~~ 12%

५) नियोक्ता प्रथमतः उसके और कर्मचारी की ओर देय दोंनो अंशदान भरे।

v) The employer shall in the first instance pay both contributions payable by himself and also on behalf of the member.

६) ठेकेदार द्वारा कामपर लगाये हूये कर्मचारी के बारे में देय अंशदान ठेकेदार वसूल करेगा और सदस्य के अंशदान की कटौती समान अंशदान की राशी प्रशासनिक खर्चा की रक्कम के साथ मुख्य नियोक्ता को सुपूर्द करेगा।

vi) In respect of employee employed by or through a contractor, the contractor shall recover the contribution payable by such employees' and shall pay to the principal employer the amount of member's contribution so deducted together with an equal amount of contributions and administrative charges.

७) मुख्य नियोक्ता पर उसके कर्मचारीयों के एवं ठेकेदार द्वारा कामपर लगाये गये कर्मचारीयों के बारे में देय दोनों अंशदान और प्रशासनिक खर्चो की रक्कम भरने की जिम्मेदारी होगी।

vii) It shall be the responsibility of the principal employer to pay both the contributions payable by himself in respect of employees employed by him and also in respect of employees employed by or through a contractor and also administrative charges.

५. कर्मचारी को उसका वेतन देने से पहले उसके वेतन से कर्मचारी के अंशदान की कटोती करें और आपका अंशदान एवं प्रशासनिक खर्चों की रक्कम के साथ प्रत्येक महिने की समाप्ति के १५ दिन के अंदर भारतीय स्टेट बँक द्वारा घोषित निधी में अलग चालाना द्वारा निम्नलिखीत प्रकार से भरें.

5. Before paying the member his wages, you shall deduct the employee's contributions from his wages which together with your own contribution and administrative charges shall, within 15 days of the close of every month be paid into the Accounts of the fund maintained by the State Bank of India by separate challans in the following manner:

क) भ.नि.अंशदान (दोनो कर्मचारी एवं नियोक्ता का) — कर्मचारी भविष्य निधी लेखा १ में विक्षेपित किया जाए।

a) P. F. Contributions (both employees and employers) — To be deposited in Emplpyees Provident Fund Account No.1

ख) प्रशासनिक खर्च की रक्कम — कर्मचारी भविष्य निधी लेखा सं. २ में निक्षेपित किया जाए ।

b) Administrative charges — To be Deposited in Employees Provident Fund Account No.2

ग) परिवार पेन्शान अंशदान — कर्मचारी परिवार पेन्शान निधि लेखा सं. १० में निक्षेपित किया जाए।

c) Family Pension contribution — To be deposited in employees Family Pension Fund Account No.10

टिप्पणी : १ प्रशासनिक खर्चों की दर वेतन के, अर्थात मूल वेतन, अनाज सुविधा की नकद किंमत के साथ महंगाई भत्ता और अगर हो तो प्रतिधारण भत्ते के ~~०.६५~~ 1.10 % है । जिस स्थापना द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रक्कम प्रतिमास ५.०० रुपयों से कम परिकलित होती हो, उसके द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रक्कम प्रतिमास कम से कम ५.०० रुपये देय होगी ।

Note : (i) The rate of administrative charges is ~~0.65 %~~ 1.10 percent of pay w.e.f. 1/8/1998 i.e. basic wages, dearness allowance including cash value of any food concession and retaining allowance, if any.

२) यह भी नोट कर लिया जाए की सदस्य के वेतन से तथा समय कटौती न करने पर अंशदान के दोनो हिस्से खुद नियोक्ता को भरने होंगे क्यों की उत्तरवर्ती वेतन से पिछले अवधि के लिए बकाये अंशदान की वसुली निशिध्द है ।

ii) It may be noted that if timely deductions are not made from the members wages, the emploer will have to pay both the shares himself as the recovery of arrears contributions for back period from the subsequent wages of the employee is prohibited.

३) आपको सभी पात्र कर्मचारीयों के बारे में पिछले .... से.................................तक के महिनों के लिए भविष्य निधी कुल अंशदान इस पत्र की तारीख से ३० दिन के अन्दर सम्बधित खाते में निक्षेपित करना है ।

iii) You have to deposit the total P.F. contributions of the eligible employees for all past months namely from ....to.........................in to the respective account within 30 days from the date of this letter.

४) धन प्रेषन हेतु सम्बन्धित चालान इस कार्यालय या विभिन्न जिलों मे स्थित निरीक्षक कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है ।

iv) The relevant challans for the purpose of remittance can be had from any branch of the State Bank of India, situated in Marathwada region consisting of Aurangabad, Jalna, Parbhani, Nanded, Latur, Osmanabad, Beed.

५) चेक यथा अवस्था क.भ.नि.लेखा सं. १,२,१०,२१ और २२ के नाम से लिखकर चालान की चार प्रतियों के साथ भारतीय स्टेट बँक की किसी भी शाखा में प्रस्तुत किये जाए ।

६) लेखा संख्या १,२ और १० में (उपयुक्त ब्योरे के अनुसार) किये जानेवाले निक्षेप के अतिरिक्त आपको कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना १९७६ के अन्तर्गत लेखा सं२१ और २२में निम्नलिखीत प्रकार से राशीका निक्षेप प्रत्येक महिने की समाप्ति के बाद अगले महिनें के १५ दिन के अन्दर करना है ।

6. Besides making deposits in Accounting Nos.1,2 and 10 (as explained above), you are also required to deposit the amount in Accounts Nos.21 and 22 under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 in the manner indicated below within 15 days of the close of each month.

१. निक्षेप सहबद्ध बीमा निधी लेखा सं. २१	इस लेखा में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को देय मुल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज की नगद किंमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारण भत्ते की कुल राशी पर ०.५ % की दर से अंशदान निक्षेपित करना है।
(i) Deposit Linked Insurance Fund Account No. 21	To this account will be deposited the contribution 0.5% which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including Cash value of food concession) and retaining allowance, if any, payable to the employees by the employer.
२. क्षेत्रिय बीमा निधी प्रशासन लेखा सं.२२	इस लेखा में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज सुविधा की नगद किंमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारण भत्ते की कुल राशी पर ०.०१ की दर से प्रशासनिक खर्चों की रकम निक्षेपित करनी है ।
ii) Regional Insurance Fund Administration Account No. 22	To this account will be deposited the administrative chargs 0.01 percent which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (Including the cash value of food concession) and rataining allowance, if any, payable to the employees by the employer.

७. उपयुक्त लेखा सं. १,२,१०,२१ और २२ मे किया जानेवाला निक्षेप अलग चालान द्वारा किया जाए एवं बैंक द्वारा प्राप्त पावती चालान की प्रति प्रपत्र सं. १२-ए (निम्नलिखित ब्योंरो के अनुसार) के साथ संलग्न करके इस कार्यालय को भेजी जाए।

7. The deposit in the above Account viz. No. 1,2,10,21 and 22 are to be made by separate challans and a copy of the challan as receipted by the Bank may be forwarded to this office duly attached with form 12-A (explained below)

८. आपको निम्नलिखित विवरणों का पोषण / प्रेषन करना है।

8. You are required to maintain / forward the following returns.

१. क.भ.नि. योजना १९५२ के अन्तर्गत प्रपत्र संख्या ९	योजना के अन्तर्गत फॅक्ट्री । स्थापना की व्याप्ति की तारीख पर जिन्हे सदस्य बनाना आवश्यक है या जे सदस्य बननेके लिए पात्र है उन कर्मचारीयों के बारे में केवल एक बार उन्हे इस कार्यालय में प्रस्तुत करना है।
i) Form No.9 under the EPF Scheme 1952	These are to be submitted to this office once in respect of those employees who are required or entitled to become members on the date the factory / establishment is covered under the Scheme.
२. कर्मचारी भ.नि.योजना १९५२ तथा प.पे.नि. योजना १९७१ के अन्तर्गत प्रपत्र सं. २	इन्हे इस कार्यालय को भेजने के लिए प्रत्येक सदस्य से दो प्रतियाँ प्राप्त करना है।
ii) Form No. 2 Under the EPF Scheme Scheme, 1971	These are to be obtained in duplicate form every member for submission to this office. 1952 and also under F.P.F.
३. प्रपत्र सं. ५-ए	यह इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा । मालिकी में अगर उत्तरवर्ती परिवर्तन हो जाए तो उसे इस प्रपत्र के जरिए इस कार्यालय को सूचित किया जाए ।
iii) From No. 5-A	This is to be submitted to this office. Any subsequent change in ownership is also to be notified to this office through this form.
४. प्रपत्र सं. ३-ए	इसे प्रत्येक सदस्य कर्मचारी के बारे में फॅक्ट्री / स्थापना में पोषीत किया जाना है।
iv) Form No.3-A	This is to be maintained at the factory / establishment in respect of every employee who is a member.
५. प्रपत्र सं. ६-ए	यह अंशदान की वार्षिक विवरणी हैं और इसे वित्तिय वर्षकी समाप्ति पर ३० दिन के अन्दर इस कार्यालय को भेजा जाना है।
v) Form No. 6-A	This is the annual return of contributions and is to be submitted to this office within 30 days of the close of the financial year.
६. प्रपत्र सं. १२-ए	यह अंशदान की मासिक विवरण है और इसे २५ तारीख तक इस कार्यालय को भेजा जाना है। भारतीय स्टेट बॅंक में किये गये निक्षेप के पुष्टिकरण हेतु चालान की प्रतियाँ इसके साथ संलग्न की जाए ।
vi) Form No. 12-A	This is the monthly return of contributions and is to be submitted to this office by 25th. Copies of the challan, in support of the deposits made in the State Bank of India should be attached with this.
७. प्रपत्र सं. ५ और १०	यह महिने में जिन कर्मचारीयों को सदस्य बनाया गया है तथा जिन कर्मचारीयों ने सेवा त्याग दी है । उनके सम्बन्धि विवरणियाँ है जिन्हे २५ तारीख तक इस कार्यालय को भेजा जाता हैं।
vii) Form Nos. 5 & 10	These are the returns of employees who have become new members or have left the service in the month and are to be submitted to this office by the 25 th.

९. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, परिवार पेन्शन योजना तथा निक्षेप सहबध्द बीमा योजना १९७६ के अन्तर्गत सभी निर्धारित प्रपत्र भविष्य निधि निरीक्षक के कार्यालय में उपलब्ध है और आपकी पहचान पर उसकी पूर्ती की जाएगी। योजना के निर्धारित विभिन्न प्रपत्रो का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक "ए" में दिया है। शीघ्र गणक भी इसके संलग्न है।

9. All the forms prescribed under the Employees' Provident Funds Scheme, the Family Pension Fund Scheme and the Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 are available at this Office and will be supplied on receipt of your indent A summary of the various forms prescribed under the Scheme is given as Annexure 'A', A ready reckoner is also enclosed.

१०. इसके आलावा आपको सेवा में लिए गए प्रत्येक कर्मचारी से प्रपत्र सं. ११ में निवेदन प्राप्त करना होगा जिससे वह पहले भविष्य निधि योजना का सदस्य था या नही इसका पता चल सके। सदस्यता के लिये लगनेवाली योग्यता की जांच करने हेतू प्रत्येक स्थापना असदस्य कर्मचारीयों के बारे में पात्रता रजिस्टर रखेगी।

10. Beside you should also take a declaration in form No.11 from every employee who is taken in employment to ascertain as to whether or not he was already a member of the Provident Fund Scheme.

११. निम्नलिखित प्रारुप के अनुसार एक निरिक्षक पुस्तिका रखी जाए एवं टीका-टिप्पणी दर्ज करने के लिए उसे भविष्य निधि निरिक्षक को प्रस्तुत किया जाए।

11. An Inspection book in the following proforma may also be maintained and produced to the Provident Fund Inspector for recording his observations.

१) भविष्य निधि निरिक्षक का नाम ....

1) Name of the Provident Fund Inspector ....

२) जांच किये गये लेखा की अवधि ....

2) Period of which accounts are checked ....

३) भेट की तारीख ....

3) Date of Visit ....

४) टीका टिप्पणी ....

4) Observation ....

१२. उपयुक्त धारा २-के अनुसार आपको फॅक्ट्री/स्थापना के लिये एमएच/.......... यह संकेत संख्या नियत कि है। सदस्यों की लेखा संख्या ९ और प्रपत्र संख्या ३ (प.पे.नि.) के अनुसार क्रमशः होगी। एतद् अनुसार सदस्यों की वैयक्तिक लेखा संख्या एमएच/........../१ एमएच/........../२. एमएच/........../३. और इसी तरह लगातार होगी। एक बार एक सदस्य को नियत की गयी लेखा संख्या किसी भी मामले में दुसरे सदस्य के लिए नियत नही की जाएगी। (जिस सदस्य को लेखा संख्या दी गई है उसने आपकी सेवा त्याग देने पर भी)

12. As started in para. 2 above, the code number allotted to your factory / establishment is MH/AB/...81927............. The account number of individual members will be suffixed by the serial numbers which appear in Form No. 9, Thus the Account number of individual members will be MH/AB/...81927........./1. MH/AB/...81927........./2. MH/AB/...81927............/ 3. and so on. An account number once alloted to a member should in no case be allotted to another member, even though the member bearing account number may have left your establishment.